

अनुक्रमणिका

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सारांश		ix-xii
अध्याय-I		
संक्षिप्त विवरण		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2-3
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3-4
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4-5
सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण	1.4	5-7
वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)	1.4.1	8
सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट	1.4.2	8-9
राजकोषीय संतुलनः घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	9-10
मुख्य राजकोषीय मापदण्डों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	1.5.1	10-11
मध्यावधि राजकोषीय योजना	1.5.2	11-12
घाटे/अधिशेष की प्रवृत्ति	1.5.3	12-15
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटे	1.6	15
राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.6.1	15
लेखापरीक्षा के बाद-कुल लोक ऋण	1.6.2	15-16
अध्याय-II		
राज्य के वित्त		
2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं उनका अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	19-20
राज्य की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	20
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास	2.3.2.1	20-22
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	22-28
केन्द्र से अन्तरण	2.3.2.3	28-31
पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	31-32
संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	32-33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	33
व्यय की वृद्धि एवं संघटन	2.4.1	33-35

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं
राजस्व व्यय	2.4.2	36-37
राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन	2.4.2.1	37-38
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	38-39
राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न होना	2.4.2.3	40
सब्सिडी	2.4.2.4	40-41
स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता	2.4.2.5	41-42
पूँजीगत व्यय	2.4.3	42
पूँजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन	2.4.3.1	42-43
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	43-48
व्यय प्राथमिकता	2.4.4	48-49
वस्तु शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	49
लोक लेखा	2.5	50
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	50-51
आरक्षित निधियां	2.5.2	52
समेकित ऋण शोधन निधि	2.5.2.1	52
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.5.2.2	52-53
प्रत्याभूति विमोच्य निधि	2.5.2.3	53
राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	2.5.2.4	53-54
उचंत और विविध	2.5.3	54
ऋण प्रबंधन	2.6	54
ऋण रूपरेखा: घटक	2.6.1	55-58
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी	2.6.2	58-60
ऋण धारणीयता विश्लेषण	2.7	60-62
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	62
गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति	2.7.2	63-64
नकद शेष का प्रबंधन	2.7.3	64-66
निष्कर्ष	2.8	67-68
सिफारिशें	2.9	68
अध्याय-III		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	69-70
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश	3.1.1	70
प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	70-71
विनियोजन लेखे	3.2	71

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं
बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3	71
कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	71-72
विनियोजन अधिनियम/अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों द्वारा अन्तरणों को अधिदेशित न करना (लोक लेखा/बैंक खातों में)	3.3.2	72
पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय एवं प्रभारित व्यय व दत्तमत व्यय तथा एक दूसरे में गलत वर्गीकरण	3.3.3	72
अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	3.3.4	73-75
पुनर्विनियोजन हेतु पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता	3.3.5	75
अनावश्यक अथवा अत्याधिक पुनर्विनियोजन	3.3.6	76
बचतें	3.3.7	76-81
व्यय अधिक्य तथा इसका विनियमन	3.3.8	81
वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित व्यय आधिक्य	3.3.8.1	81-82
अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.3.8.2	82-83
विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन	3.3.8.3	83
पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	3.3.9	83-84
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.4	84
बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर	3.4.1	84-85
अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत	3.4.2	85-86
बजट में प्रमुख नितिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय	3.4.3	86-87
योजनाएं तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनमे वास्तविक निधियन	3.4.4	87-89
व्यय का तीव्र प्रवाह	3.4.5	89-90
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	91
अनुदान संख्या 13- “सिचार्ई एवं जन स्वास्थ्य”	3.5.1	91-93
अनुदान संख्या 22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3.5.2	93-95
निष्कर्ष	3.6	95-96
सिफारिशें	3.7	96
अध्याय - IV		
लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता		
राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियाँ	4.1	97
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	4.1.1	97-98
नियामक	4.1.2	98-99
समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण	4.2	99
सब्याज निक्षेपों के ब्याज के सम्बन्ध में देयताओं निर्वहन न होना	4.3	99
राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों (एजेंसियों) को सीधे हस्तांतरित निधियाँ	4.4	99-101
स्थानीय निधियों का निक्षेप	4.5	101

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.6	101-103
अनुदेयी संस्थान को “अन्य” के रूप में दर्ज करना	4.6.1	103-104
सार आकस्मिक बिल	4.7	104
व्यक्तिगत निश्चेप लेखे	4.8	104-105
लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.9	105-107
मुख्य उचंत एवं ऋण, निश्चेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	108-109
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.11	109
नकद शेष का सामंजस्य	4.12	109-110
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	110
लेखाओं/स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विलम्ब से प्रस्तुत करना	4.14	111
निकायों तथा प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना	4.15	111-112
लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता	4.16	112
दुर्बिनियोजन, हानि, चोरी आदि	4.17	112-113
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	114
निष्कर्ष	4.19	114
सिफारिशें	4.20	114-115

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ सं.
1	राज्य की रूपरेखा	1.1	117
2	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	2.3.2.1 तथा 2.4.1	118–120
3.1	बजट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली		
3.2	विभिन्न अनुदान जहां बचतें प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण	3.3.7	124–125
3.3	विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) हुई	3.3.7	126
3.4	उन योजनाओं के विवरण जहां प्रावधान किए गए (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया	3.4.4	127–128
3.5	व्यय का तीव्र प्रवाह	3.4.5	129
4	स्वायत्त निकायों की सूची	4.15	130–131

